# लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
# (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
# पीठासीन अधिकारी **चेतन देवड़ा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/101/2019 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 20.12.2019

श्री राजेन्द्र सुखवाल निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राज.) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**निर्णय**

**दिनांक 13.01.2020**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 22.10.2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 101/2019/(13.01)/774 दिनांक 24.12.2019 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 13.01.2020 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी सम संख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 13.01.2020 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.10.2019 से पांच बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है मुझे उन बिन्दुओं पर कोई जवाब या सूचना आदिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः चाही गई सूचना निः शुल्क दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

**लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी**
**(जिला कलक्टर)**
**चित्तौडगढ (राज.)**

| प्रकरण संख्या 101/2019 (सू.अ.) |
|---|
| श्री राजेन्द्र सुखवाल निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशा.) चित्तौड़गढ़ |

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/202 दिनांक 30.12.2019 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:–

1. यह कि प्रार्थी श्री राजेन्द्र सुखवाल निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 22.10.2019 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 24.10.2019 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के समस्त तथ्य आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ के कार्यालय से संबंधित होने से प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/2315 दिनांक 04.11.2019 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ को अन्तरित किया गया है। पत्र की प्रति संलग्न है।
3. यह कि प्रार्थी को सूचना के संबंध में इस कार्यालय द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/2315 दिनांक 04.11.2019 से अवगत करा दिये जाने से अब इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः प्रस्तुत प्रथम अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2019/202 दिनांक 30.12.2019 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार:–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.10.2019 से पांच बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है। अपीलार्थी का उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के

**लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी**
**(जिला कलक्टर)**
**चित्तौड़गढ़ (राज.)**

| प्रकरण संख्या 101/2019 (सू.अ.) |
| --- |
| श्री राजेन्द्र सुखवाल निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशा.) चित्तौड़गढ़ |

तहत आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरित किया जाना प्रतिवेदित है। अतः इस आवेदन पत्र पर अग्रिम कार्यवाही आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ के स्तर से अपेक्षित थी। आयुक्त नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है तो उस दशा में अपीलार्थी को उनके अपीलीय प्राधिकारी (अध्यक्ष, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़) के यहां अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा धारा 6(3) में अन्य लोक सूचना अधिकारी को हस्तान्तरित करने की दशा में इस न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं रह जाता है।

अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रस्तुत अपील इस न्यायालय का क्षैत्राधिकार नहीं होने के आधार पर खारिज की जाती है।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

(चेतन देवड़ा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./101/2019(सू.अ.)/37 दिनांकः– 14/01/2020

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री राजेन्द्र सुखवाल निवासी बून्दी रोड़, चित्तौड़गढ़

13/01/20

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2020.02.03 17:46:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: